निर्णय व इजलास राजन विशाल आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 181/2021 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र )

कैलाश पुत्र रामनाथ जाति मीना, निवासी ग्राम मनोहरपुरा, तहसील बस्सी जिला जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

1 कमलेश पुत्र कजोड़
2 कानाराम पुत्र कजोड़
3 धोली पुत्री कजोड़
4 राजेन्द्र पुत्र कजोड़
5 शंकर पुत्र कजोड़
6 सीताराम पुत्र कजोड़
7 मूली देवी पत्नी कजोड़
8 गुलाब देवी पुत्री कजोड़
9 हीरा पुत्री कजोड़
10 छोटी पुत्री कजोड़
11 तीजा पुत्री कजोड़
12 डालूराम पुत्र जगदीश नारायण
13 पार्वती पत्नी डालूराम
14 रमेश चन्द्र पुत्र भौरी लाल
15 गुल्ली पत्नी भौरी लाल
समस्त जाति मीना, निवासी ग्राम मनोहरपुरा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
16 ग्राम पंचायत मनोहरपुरा, जरिये सरपंच, तहसील बस्सी, जिला जयपुर ।
17 श्री शिवचरण शर्मा आर.ए.एस. पीठासीन अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

जिला कलक्टर जयपुर जिला जयपुर

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र बाबत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 73/2020 व उनवानी कैलाश व अन्य बनाम कमलेश व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने बाबत ।

उपस्थितः–

1. श्री कालूराम मीणा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री अरविन्द पारीक अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 25.04.2022

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी के समक्ष प्रकरण संख्या 73/2020 व उनवानी कैलाश व अन्य बनाम कमलेश व अन्य दर्ज होकर

जिला कलक्टर
जयपुर

विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने में शंका जाहिर कर प्रार्थी ने उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है।

2. मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी बस्सी से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से वकील श्री अरविन्द पारीक उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया ।

3. बहस उभय पक्ष सुनी गई ।

4. प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि उक्त प्रकरण में अधीनस्थ पीठासीन अधिकारी ने प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुन कर यह स्थगन आदेश पारित किया कि मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे एव वर्तमान में पक्षकार जिस जगह पर काबिज है उसी जगह पर काबिज रहे एवं नामान्तरकरण की कियान्विति स्थगित रखी जाकर उभय पक्ष को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है । दिनांक 24.11.2021 को प्रार्थी ने गावं बस्सी में यह चर्चा सुनी कि अप्रार्थी संख्या 14 जो कि काफी धनबल, भुजबल एवं ऊंची राजनैतिक पहुंच वाला व्यक्ति है, जो पैसे के बल पर अप्रार्थी संख्या 17 के यहां से राजस्व कैम्प में स्टे को खारिज करवा देगा । इसलिए प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 17 से न्याय की आशा नहीं है । उसके पश्चात प्रार्थी ने कई मर्तबा अप्रार्थी संख्या 14 को बिना तारीख के ही कोर्ट परिसर में जाते देखा है एचं पीठासीन अधिकारी के चैम्बर के बाहर चक्कर लगाते हुये देखा है जिससे प्रार्थी को भय है कि न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी संख्या 14 के प्रभाव में आ कर प्रार्थी के खिलाफ निर्णय पारित कर सकते है एवं अप्रार्थी संख्या 14 कानून की मंशा के विपरीत जा कर अप्रार्थी संख्या 17 से पत्रावली में निर्णय पारित करवा सकते है । इसलिए प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 17 से न्याय की आशा नही है ऐसी दशा में प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 17 के यहां विचाराधीन पत्रावली में न्याय की कोई उम्मीद नही है । इसलिए पत्रावली को जयपुर स्थित किसी भी न्यायालय को स्थानान्तरित किया जाना आवश्यक है। अतः उक्त प्रकरण को किसी भी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने के आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता ने प्रार्थी के आरोपों का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय से स्थगन प्राप्त कर रखा है। इसलिए प्रार्थी जानबूझ कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब करना चाहता है । इसी मन्शा से झूठे एवं मनघढन्त आरोप लगा कर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। आरोपों की पुष्टि में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जिससे उसके कथनों की पुष्टि होती हो। केवल कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी द्वारा पूर्व में भी मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जो दिनांक 05.08.2021 को खारिज हो चुका है । दिनांक 29.11.2021 को पुनः यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया । अतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने के आदेश फरमावें ।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. प्रार्थी द्वारा पूर्व में भी मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था, जो दिनांक 05.08.2021 को खारिज हो चुका है। प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त किया हुआ है और प्रार्थी द्वारा ही बार–बार मुन्तकिल प्रार्थना पत्र लगाया जा रहा है। जो प्रार्थी के प्रकरण के

जिला कलक्टर
जयपुर

निस्तारण में विलम्ब किये जाने की मन्शा को जाहिर करता है। प्रार्थी का यह कृत्य न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत है। पीठासीन अधिकारी ने अपनी टिप्पणी में प्रार्थीगण द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन किया है। मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी ने किसी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है। प्रार्थीगण ने केवल मात्र कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है। इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त मोहन सिंह बनाम दलपत सिंह 1984 RRD 501, राधेलाल बनाम बसन्ती लाल 1986 RRD-18, एवं मुरलीधर बनाम रामस्वरूप 1980 RRD (NSU) 61 में कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नहीं माना है। सम्पूर्ण तथ्यों पर गौर व मनन करने पर यह परिलक्षित होता है कि उपखण्ड अधिकारी बस्सी के पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है, जिससे उक्त प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरण किया जावे। प्रार्थीगण द्वारा पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

8. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा उपखण्ड अधिकारी बस्सी को प्रेषित हो। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

9. निर्णय आज दिनांक 25.04.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

25/04/22

(यज्ञ विशाल)
जिला कलक्टर
जयपुर